सत्र प्रकरण का निर्णय का शीर्षक

प्रपत्र–क

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया व्यवहार न्यायालय, गया	
उपस्थित	**शशि कांत ओझा** **अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया ।**
निर्णय की तिथि	**30.04.2026**
सत्र प्रकरण सं0	**73 / 2009**
जी0 आर0 नम्बर	1766 / 2007
वजीरगंज (टनकुप्पा) थाना कांड सं0	102 / 2007
सूचक	राज्य सरकार द्वारा सूचक युगल यादव
अभियोजन की तरफ से	श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त गण का नाम	1. रामाशीष यादव, पिता– स्व0 काली यादव, 2. उदय यादव, पिता– जानकी यादव, 3. संजोष यादव, पिता– रामाशीष यादव, 4. बैजू यादव उर्फ बैजनाथ यादव, पिता– स्व0 काली यादव, 5. मल्लु यादव, पिता– स्व0 काली यादव, 6. मोहन यादव, पिता– स्व0 काली यादव, सभी ग्राम– बेलदार बिगहा, थाना– वजीरगंज, जिला– गया।
सभी अभियुक्तगण की तरफ से	1. श्री कमलेश कुमार, विद्वान अधिवक्ता 2. श्री कुमार विशाल, विद्वान अधिवक्ता 3. श्री पंकज कुमार, विद्वान अधिवक्ता

प्रपत्र–ख

घटना की तिथि	25.07.2007
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	26.07.2007, धारा– 341,323,324,307,504 / 34 भा0 द0 वि0।
आरोप–पत्र समर्पित करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	11.04.2008, धारा– 341,323,324,307,504 / 34 भा0 द0 वि0।
संज्ञान लेने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	26.09.2008, धारा– 341,323,324,307,504 / 34 भा0 द0 वि0।
आरोप गठण करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	19.02.2009, धारा– 307 / 34 भा0 द0 वि0।
प्रथम गवाह प्रस्तुत करने की तिथि	15.09.2026
बयान दर्ज करने की तिथि	24.04.2026
निर्णय हेतु रखने की तिथि	30.04.2026
निर्णय की तिथि	**30.04.2026**
सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि	N.A.

अभियुक्त का विवरण

क0 सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी एवं आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	जिन अपराधों का आरोप बनाया गया	चाहे दोषमुक्त हो या दोषी	सजा सुनाई गई	धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौराण निर्धारण की अवधि
01.	वैजू यादव	13.12.2007	10.01.2008		दोषमुक्त	N.A.	N.A.

02.	उदय यादव	05.08.2007	19.09.2007	धारा– 307/34 भा0 द0 वि0।	दोषमुक्त	N.A.	N.A.
03.	संतोष यादव	14.02.2008	20.02.2008		दोषमुक्त	N.A.	N.A.
04.	मल्लू यादव	05.08.2007	19.09.2007		दोषमुक्त	N.A.	N.A.
05.	रामाशीष यादव	13.12.2007	10.01.2008		दोषमुक्त	N.A.	N.A.
06.	मोहन यादव	14.02.2008	20.02.2008		दोषमुक्त	N.A.	N.A.

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त गण 1. वैजू यादव, 2. उदय यादव, 3. संतोष यादव, 4. मल्लू यादव, 5. रामाशीष यादव, 6. मोहन यादव प्रस्तुत प्रकरण में धारा– 307/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक, युगल यादव के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2025 को समय करीब 05 बजे सुबह सूचक अपने घर से सोकर उठे तो देखे कि इनकी लड़की खुशी कुमारी अपने कमरे में नहीं हे तो सभी परिवार को जगाया और कहा कि घर में खुशी कुमारी अपने कमरे में नहीं है, उसी समय से ये सारे परिवार खोज में लग गये, मुखिया एवं सरपंच द्वारा भी खोजा गया लेकिन पता नहीं चला। शक के आधार पर बगल के लड़का अभिमन्यु कुमार बोला कि ये इनकी लड़की खुशी को कुमारी को नहीं ले गये हैं ता`ये भुतपूर्व मुखिया के बेटा दीपु सिंह को घटना के बारे में बताया तो इनके सामने हीं दीपु ने अपने मोबाईल से फोन लगाकर अभियुमन्यु कुमार से पुछे तो अभियुमन्यु कुमार ने कहा कि वो इनकी बेटी खुशी कुमारी को भगा कर ले गया है और कल शाम 7 बजे खुशी कुमारी को घर पहॅचा देंगे एवं फोन पर इनकी बेटी खुशी कुमारी से बात भी करवाया उसके बाद मोबाईल बन्द कर दिया। जब लौटकर नहीं आये तो सूचक ने अभिमन्यु पर इनकी नवालीग लड़की को शादी के नियत से भगा कर ले जाने का केस दर्ज करवाया।

3. सूचक के आवेदन के आधार पर गया वजीरगंज (टनकुप्पा) थाना कांड संख्या–102/2007, दिनांक 26.07.2007 अन्तर्गत धारा– 341, 323, 324, 307, 504/34 भा0 द0 वि0 अभियुक्त गण 1. वैजू यादव, 2. उदय यादव, 3. संतोष यादव, 4. मल्लू यादव, 5. रामाशीष यादव, 6. मोहन यादव के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण के अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत इस प्रकरण के अभियुक्त गण 1. वैजू यादव, 2. उदय यादव, 3. संतोष यादव, 4. मल्लू यादव, 5. रामाशीष यादव, 6. मोहन यादव के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप–पत्र संख्या – 14/2008, दिनांक 21.02.2008, अन्तर्गत धारा– 341, 323, 324, 307, 504/34 भा0 द0 वि0 में समर्पित किया गया। तत्पश्चात् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया द्वारा दिनांक 26.09.2008 को उपरोक्त आरोप–पत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तथा तत्पश्चात् दिनांक–18.12.2008 को मामले को अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, गया के न्यायालय में दौरा–सुपुर्द किया गया।

5. दिनांक 19.02.2009 को अभियुक्त गण 1. वैजू यादव, 2. उदय यादव, 3. संतोष यादव, 4. मल्लू यादव, 5. रामाशीष यादव, 6. मोहन यादव के विरूद्ध धारा– 307/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया एवं आरोप की विशिष्टियों को अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसपर अभियुक्तों ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं वाद विचारण का दावा किया।

6. विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकरण का अभिलेख दिनांक–05.01.2021 को इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

7. दिनांक 24.04.2026 को अभियुक्त गण 1. वैजू यादव, 2. उदय यादव, 3. संतोष यादव, 4. मल्लू यादव, 5. रामाशीष यादव, 6. मोहन यादव का धारा – 313 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं कथन किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फॅसाया गया है।

8. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के भीम पासवान के विरूद्ध गठित आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही?

<u>मन्तव्य</u>

9. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में मात्र 01 अभियोजन साक्षी का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध कराया गया है जो कि निम्नांकित हैं : –

अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– युगल यादव, सूचक

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गये दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैं:–

प्रदर्श–1– आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

10. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव के समर्थन में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध नहीं कराया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– यूगल यादव, सूचक**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि '' यह केस मैनें ही किया है। यह घटना वर्ष 2007 के 10 बजे दिन की है। मैं उस समय खेत पर पटवन कर रहा था। जब मैं पटवन के लिए पानी खोल रहा था तो वहां वैजू, मल्लू, रामाशीष, मोहन, शिवनाथ एवं उदय आये और धक्का मुक्की में मैं गिर गया और कुछ नहीं हुआ था। मैं अस्पताल गया था और मेरे साथ कोई गया था या नहीं मुझे याद नहीं है। मेरे सर में चोट लगा था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण वैजू, मल्लू, रामाशीष, मोहन, शिवनाथ एवं उदय को पहचानता हूं। थाने में दिया गया लिखित आवेदन मेरे द्वारा नहीं लिखा गया था परंतु उसपर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूं। लिखित आवेदन पर मेरा भतीजा महेन्द्र यादव का भी हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूं। साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर एवं महेन्द्र यादव के हस्ताक्षर को क्रमशः **प्रदर्श– 1 एवं 1/1** अंकित किया जाता है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस मुझसे पुछताछ की थी। मैं पुलिस को यह बात नहीं बताया था की रामाशीष यादव ने मेरे सिर पर मारा था।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि लिखित आवेदन पर क्या लिखा हुआ था यह मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। सारे अभियुक्तगण मेरा भगना लगता है। जिस समय हल्ला हंगामा हुआ था तो मैं खेत में पटवन कर रहा था जिससे पानी के कारण फिसल जाने से हथौड़ा से चोट लगने से सर फट गया था। आज न्यायालय मैं स्वेच्छा से बयान दे रहा हूं। आगे मैं यह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूं। मुझसे किसी तरह का कोई मारपीट नहीं हुआ था। पलटा मुकदमा में मेरा रिहाई हो चूका है।

12. उभयपक्षों द्वारा अपने पक्ष में दिये गये साक्ष्यों का सम्पूर्ण एवं सारगर्भित अवलोकन करने के पश्चात् उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्कों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण न्यायिक रूप से अपेक्षित है। अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन करते है कि अभियोजन द्वारा अपने मामले को स्थापित करने हेतु एक मात्र साक्षी का साक्ष्य कराया गया है। जिसमें अभियोजन

साक्षी सं0– 1 सह सूचक ने अपने साक्ष्य में घटना का पूर्ण समर्थन किया है और कहा है कि घटना वर्ष 2007 की समय 10 बजे दिन की है, जब सूचक अपने खेत में पटवन के लिये पानी खोल रहे थे तो बैजु, मल्लू, रामाशीष, मोहन, शिवनाथ एवं उदय आये और धक्का मुक्की इनके साथ किये जिसमें ये गिर गये थे। ये अस्पताल गये थे क्योंकि इनके सर में चोट लगी थी। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण बैजु, मल्लु, रामाशीष, मोहन, शिवनाथ एवं उदय को पहचन करते हैं। इनके पहचान पर आवेदन पर इनके एवं महेन्द्र यादव के हस्ताक्षर को प्रदर्श :–1 एवं 1/1 अंकित किया गया। आगे यह साक्षी कहते हैं कि पुलिस ने इनका बयान लिया था। इन्हीं सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्धि करने का निवेदन किया गया।

13. वही दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन के प्रस्तुत एक मात्र साक्षी सं0 1 सूचक साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के दिन पानी पटवन के दौरान धक्का मुक्की में ये गिर गये थे जिसमे इन्हे कुछ नहीं हुआ था लेकिन सर में चोट लगी थी। इन्होने ने मुख्य परीक्षण के दौरान कंडिका 3 में कहा है कि आवेदन इनके द्वारा नहीं लिखा गया था परन्तु उसपर इनका हस्ताक्षर है और इनके भतीजे महेन्द्र यादव का हस्ताक्षर है जिसे इनके पहचान पर प्रदर्श अंकित कराया गया है। परन्तु मुख्य परीक्षण के कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस को इन्होने नहीं बताया था कि रामाशीष यादव ने इनके सर पर मारा था। अभियोजन ने इस साक्षी को न्यायालय के द्वारा पक्षद्रोहि घोषित कराया परन्तु कोई भी तथ्य इस मामले में लाने में असफल रहा। प्रति परीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि आवेदन पढ़कर इन्हे नहीं सुनाया गया था कि इसमें क्या लिखा हुआ था। इस साक्षी ने आगे कहा है कि खेत में पटवन के दौरान फिसल जाने के कारन हथौड़ा से चोट सर में लग गया था जिससे सर फट गया था और आगे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते। इन्होने ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आगे केस नहीं लड़ना चाहे है और इनके साथ कोई मारपीट नहीं हुयी थी। पलटा मुकदमा में इनकी रिहाई हो चुकी है। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते है कि अभियोजन अभियुक्तगण के संबंध में मामले युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

14. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, अवलोकनोपरांत न्यायालय यह पाती है की अभियोजन की ओर से एक मात्र साक्षी का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी सं0 1 सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण के दौराण प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन पर अपने एवं महेन्द्र यादव के हस्ताक्षर को इनके पहचान पर प्रदर्श :–1 एवं 1/1 अंकित कराया है और आगे कहा है कि खेत में पटवन के दौरान धक्का मुक्की में गिर गया था जिससे इनके सर में चोट लगा था। इन्होने मुख्य परीक्षण के कंडिका 5 में कहा हैं कि पुलिस को यह बात नहीं बताये थे कि रामाशीष यादव ने इनके सर पर मारा था। अभियोजन के प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोहि घोषित किया गया परन्तु अभियोजन ने प्रति परीक्षण के दौरान अपने पक्ष में कोई भी तथ्य लाने में असफल रहा है। प्रति परीक्षण के दौरान इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदन पर क्या लिखा था, पढ़कर इन्हे नहीं सुनाया गया था। सारे अभियुक्तगण इनके भगिना लगते हैं। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि खेत पटवन के दौरान फिसल जाने के कारन हथौड़ा से चोट सर में लग गया था जिससे सर फट गया था इस साक्षि ने यह भी कहा है कि और आगे केस नहीं लड़ना चाहते। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 13 में यह भी कहा है कि इनके साथ कोई मारपीट नहीं हुयी थी और पलटा मुकदमें में इनकी रिहाई हो चुकी है।

अतः इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त 1. वैजू यादव, 2. उदय यादव, 3. संतोष यादव, 4. मल्लू यादव, 5. रामाशीष यादव, 6. मोहन यादव के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत

धारा– 307/34 भा0 द0 वि0 को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में पुरी तरह से असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

15. चूंकि अभियोजन अभियुक्त 1. वैजू यादव, 2. उदय यादव, 3. संतोष यादव, 4. मल्लू यादव, 5. रामाशीष यादव, 6. मोहन यादव के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त 1. वैजू यादव, 2. उदय यादव, 3. संतोष यादव, 4. मल्लू यादव, 5. रामाशीष यादव, 6. मोहन यादव को धारा– 307/34 भा0 द0 वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त 1. वैजू यादव, 2. उदय यादव, 3. संतोष यादव, 4. मल्लू यादव, 5. रामाशीष यादव, 6. मोहन यादव पूर्व से जमानत पर हैं, अतः उनके जमानतदारों को बन्ध पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिलाधिकारी, गया को भेजें एवं नियामानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में निक्षेपित करें।

लेखापित एवं शुद्धीकृत

(निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया)

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया जी।

दिनांक :–30.04.2026

लेखापित

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया जी।

दिनांक :–30.04.2026